

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:एफ 28()पंरावि/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ./सेवा.नि./2017/410/ जयपुर,दिनांक: 31.10.17

:: आ दे रा ::


राजस्थान अधिनस्थ सेवा के श्री ललित कुमार वासू, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति राजसमंद ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपना स्वास्थ्य खराब रहने के कारण दिनांक 01.11.2017 से स्वेच्छिक सेवानिवृति चाही है। श्री वासू की जन्मतिथि 14.09.1959 है एवं उनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 27.10.1989 है।

अतः राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत श्री ललित कुमार वासू, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति राजसमंद को दिनांक 01.11.2017 से स्वेच्छिक सेवानिवृति की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

यह स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दिये गये किसी प्रकार के ऋण शेष नहीं होने की शर्त पर जारी की गई है।


श्री ललित कुमार वासू, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति राजसमंद के विरुद्ध वर्तमान में कोई विभागीय जांच/शिकायत विचाराधीन नहीं है।

आज्ञा से,


(पूनम प्रसाद सागर)
संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद राजसमंद को उनके पत्र क्रमांक 950 दिनांक 11.10.2017 के क्रम में।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति राजसमंद
4. श्री ललित कुमार वासू, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति राजसमंद
5. ए.सी.पी., मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड कराने हेतु।
6. आदेश / रक्षित पत्रावली


संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त